न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही

(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

राहुल अरोडा पुत्र श्री विष्णु कुमार अरोडा, जाति- अरोडा, उम्र 25 वर्ष,
निवासी- एस.बी.आई. बैक के पास, खेराडियों का मोहल्ला, शिवगंज, जिला- सिरोही
(मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)
फर्मः- जगदीश स्वीट्स, मैन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 27/2019

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी अभियुक्त राहुल अरोडा

-: निर्णय :- दिनांक 27 नवम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 27.10.2018 को समय 11.30 ए.एम. पर फर्म जगदीश स्वीट्स, मैन बाजार, शिवगंज, ज़िला- सिरोही पर पॅहुचा। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति राहुल अरोडा पुत्र श्री विष्णु कुमार अरोडा, जाति- अरोडा, निवासी- एस.बी.आई. बैक के पास, खेराडियों का मोहल्ला, शिवगंज, जिला- सिरोही है एवं फर्म जगदीश स्वीट्स, मैन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की। दुकान के काउन्टर में स्टील की ट्रे में खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा लगभग 5 किलोग्राम को कौचे से अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये हुए मावा कुन्दा में से 2 किलोग्राम मावा कुन्दा एक साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खरीदा एवं मावा कुन्दा की कीमत रुपये 360/- अदा की व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया एवं फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार

.....पेज दो पर

साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक जार दिखाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् खरीद शुदा मावा कुन्दा को चारों साफ सूखी, खाली जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा व प्रत्येक जार में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डाली तथा जारों को कार्क से एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-844 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अरोडा ने पढ़, सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 29.10.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 27.10.2018 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द ल्फिाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अरोडा से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा का नमूना S-844 अमानक (Sub-standard) पाया गया। जांच रिपोर्ट की की प्रति विक्रेता राहुल अरोडा को भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को प्रस्तुत करे, लेकिन राहुल अरोडा ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण से संबंधित मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित

....पेज तीन पर

अधिकारी को पेश कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। अभियुक्त ने अमानक मावा कुन्दा का विक्रय करके अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 20.11.2019 को प्रतिवादी राहुल अरोडा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी की दुकान जगदीश स्वीट्स से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27.10.2018 को मावा कुन्दा का नमूना लिया था जो जांच रिपोर्ट अनुसार अमानक स्तर का पाया गया है। प्रार्थी स्वेच्छाया अपराध स्वीकार करता हूँ। प्रार्थी भविष्य में ऐसी अमानक स्तर का मावा कुन्द दुकान में नही रखेगा एवं न ही कभी बेचान करेगा। प्रार्थी की प्रथम त्रृटि पर नरम रुख अपनाते हुए जुर्माना से दण्डित करवाकर राहत प्रदान करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी राहुल अरोडा द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 20.11.2019 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान परिवाद में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने अमानक खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी राहुल अरोडा ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2018 को समय 11.30 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म जगदीश स्वीट्स, मैन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म जगदीश स्वीट्स, मैन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से राहुल अरोडा पुत्र श्री विष्णु कुमार अरोडा, जाति- अरोडा, निवासी- एस.बी.आई. बैंक के पास, खेराडियों का मोहल्ला, शिवगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म जगदीश स्वीट्स, मैन बजार, शिवगंज के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा के अमानक होने का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री मनीष पुत्र विष्णु जी अरोडा, निवासी- खेराडियों का मोहल्ला, शिवगंज एवं श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के

.....पेज चार पर

समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता राहुल अरोडा को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। उक्त फर्म जगदीश स्वीट्स दुकान के काउन्टर में स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद मावा कुन्दा लगभग 5 किलोग्राम को कौचे से हिलामिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये हुय खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा में से 2 किलोग्राम मावा कुन्दा को एक साफ सूखे, खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 360/- (अक्षरे रुपये तीन सौ साठ मात्र) विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता राहुल को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अरोडा एवं उक्त गवाहों तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के जार दिखाकर खरीद शुदा मावा कुन्दा को चारों साफ सूखी, खाली जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा व जारों के ढक्कन को एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-844, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता राहुल अरोडा एवं उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-844 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता राहुल अरोडा व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अरोडा व उक्त गवाहों तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म जगदीश स्वीट्स, मैन बजार, शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अरोडा से खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा को नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतिया तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 29.10.2018 को नमूने का एक भाग

....पेज पांच पर

एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27.10.2018 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा का नमूना संख्या S-844 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./791/Act/2018/810 दिनांक 22.11.2018 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म जगदीश स्वीट्स, मैन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता राहुल अरोडा से वास्ते नमूना जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा का नमूना अमानक (Sub-standard) होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी राहुल अरोडा ने अमानक खाद्य पदार्थ मावा कुन्दा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त राहुल अरोडा पुत्र श्री विष्णु कुमार अरोडा, जाति- अरोडा, निवासी- एस.बी.आई.बैंक के पास, खेराडियों का मोहल्ला, शिवगंज, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म जगदीश स्वीट्स, मैन बाजार, शिवगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी राहुल अरोडा पुत्र श्री विष्णु कुमार अरोडा, जाति- अरोडा, निवासी- एस.बी.आई.बैंक के पास, खेराडियों का मोहल्लाक, शिवगंज, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.12.04 10:48:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: